पुलिस मुख्यालय (अपराध अनुसंधान विभाग) म0प्र0 भोपाल

दिनांक– 30.10.13

क्रमांक / अअवि / पुमनि / मुख्यालय / 250/13

प्रति,

समस्त पुलिस अधीक्षक
समस्त पुलिस अधीक्षक रेल एवं अजाक (म0प्र0)

विषयः–गुम बच्चों के विषय में **F.I.R.(First Iinformation Report)** दर्ज करने एवं पतारसी के संबंध में।

संदर्भः–पत्र क्रमांक अअवि / जेऐबी / 228 / 2013 दिनांक–25.09.2013.

उपरोक्त संदर्भित पत्र के संबंध में लेख है कि गुमशुदा बच्चों के प्रकरणो में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **WP(C) NO-75/2012** में दिनांक–**MAY 10,2013** को पारित आदेश के पालन में 15 दिवसीय विशेष अभियान चलाया गया है। इस अभियान में गुमशुदा बच्चों के संबंध में **F.I.R.** दर्ज करने का लेख है। इसी क्रम में निर्देशित किया जाता है कि **F.I.R.** के बाद विवेचना के दौरान NIC के Missing Children Tracking Portal के माध्यम से ऑनलाईन पतारसी भी करें। इस कारवाई को विवेचना का ही एक महत्वपूर्ण बिन्दू माना जावे। विवेचना में की गई कार्यवाही का इन्द्राज केस डायरी के पर्चो में भी उल्लेखित करें।

F.I.R. दर्ज करने के बाद NIC के Missing Children Tracking Portal मे लापता बच्चों की समस्त जानकारी निर्धारित फार्म में ऑनलाईन **http://trackthemissing--child.gov.in** में भरना भी सुनिश्चित करें।

संलग्न पत्रः–बेबसाईट पर उपलब्ध फार्म– **http://trackthemissingchild.gov.in**

NIC Missing Children Tracking Portal form –(M)

NIC Missing Children Tracking Portal form –(R)

(नंदन दुबे)
पुलिस महानिदेशक म0प्र0

O/L

प्रतिलिपिः–1 समस्त पुलिस महानिरीक्षक (जोन) रेल, एवं अजाक कृपया सुनिश्चित करें कि आदेश की तामीली प्रत्येक थाना स्तर पर की जाए।

(नंदन दुबे)
पुलिस महानिदेशक म0प्र0

पुलिस मुख्यालय (अपराध अनुसंधान विभाग) म0प्र0 भोपाल

क्रमांक / अअवि / जे.ए.बी. / 91 / 13 दिनांक 3.5.2013

प्रति,

:: परिपत्र ::

समस्त पुलिस अधीक्षक, मध्य प्रदेश
समस्त रेल पुलिस अधीक्षक, मध्य प्रदेश

विषयः—माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में प्रस्तुत याचिका क्रमांक / डब्ल्यु.पी. क्रमांक / 75 / 12 बचपन बचाओ आंदोलन विरूद्ध भारत सरकार एवं अन्य के संबंध में।

—

उपरोक्त विषयांकित के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में विचाराधीन बचपन बचाओ आंदोलन विरूद्ध भारत सरकार एवं अन्य से संबंधित रिट पिटिशन क्रमांक 75 / 12 किशोन न्याय अधिनियम 2000 संशोधित अधिनियम 2006 के प्रभावी कियान्वयन के संबंध में विशेष निर्देश जारी किये है इस संबंध में मध्य प्रदेश शासन गृह (पुलिस) विभाग द्वारा निर्देश जारी किये गये है । माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा बच्चों के गुमने संबंधी बढ़ते हुए अपराध के प्रति गंभीरता से कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिये है । अतः निम्न निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित करें :—

(1) जब भी किसी बच्चे के गुमने के संबंध में कोई शिकायत पुलिस थाने में प्राप्त होती है तो तत्काल उसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाय एवं ऐसे प्रकरणों में तत्परता से विवेचना एवं गुम बच्चे की तलाश की जावे ।

(2) किशोर न्याय अधिनियम 2000 (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 की धारा 63 के अनुरूप प्रत्येक जिले में विशेष किशोर पुलिस इकाई का गठन किया जावे । प्रत्येक थाने में कम से कम एक अधिकारी को बाल कल्याण अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जावे । सभी थानों के बाल कल्याण अधिकारी इस विशेष किशोर पुलिस इकाई के सदस्य के रूप में कार्य करना सुनिश्चित किया जावें ।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का पालन कड़ाई से किया जाना सुनिश्चित करें ।

3/5/13

(के बाबू राव)
पुलिस महानिरीक्षक
मध्य प्रदेश भोपाल

प्रतिलिपिः—कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
1—समस्त जोन पुलिस महानिरीक्षक मध्य प्रदेश ।
2—समस्त रेंज उप पुलिस महानिरीक्षक मध्य प्रदेश ।
3—जन सम्पर्क अधिकारी पु0मु0 भोपाल ।

/

(के बाबू राव)
पुलिस महानिरीक्षक
मध्य प्रदेश भोपाल